27.9.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। वादी को वादग्रस्त आराजीयात की हाल जमाबंदी प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। वादी न तो उपस्थित हुआ है एवं नहीं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं नहीं चलाना चाहता है।

अत: वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
IAS